D — जिला प्रशासन, कल्याण एवं भागीदारी

जिला समाज कल्याण / जनजातीय / अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय

यह संस्थान क्या है

यह जिला-स्तरीय कार्यालय है जो अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण योजनाओं हेतु उत्तरदायी है। इन श्रेणियों में आने वाले किसी भी युवा के लिए, यह कार्यालय छात्रवृत्तियों (प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक), छात्रावास प्रवेश, कोचिंग योजनाओं तथा श्रेणी-विशिष्ट हकदारियों का प्रवेश-द्वार है। छात्रवृत्ति प्रसंस्करण — सत्यापन, अग्रेषण तथा धनराशि का निर्गमन — सबसे बड़ा एकल कार्य है तथा वही प्राथमिक कारण है जिसके लिए अधिकांश युवा इस कार्यालय से संपर्क करते हैं। केंद्रीय छात्रवृत्तियों के आवेदन अब पूर्णतः डिजिटल कार्यप्रणाली का अनुसरण करते हैं: जिला कार्यालय (मुख्यतः जिला समाज कल्याण अधिकारी DSWO के माध्यम से, अथवा समकक्ष नामित जिला नोडल अधिकारी के माध्यम से) DBT निर्गमन हेतु राज्य/केंद्रीय स्तर पर अग्रेषण से पूर्व दस्तावेज़ों, जाति तथा आय का स्तर-2 सत्यापन करता है।

> **यह आपके लिए क्यों मायने रखता है**
>
> यदि आप प्री-मैट्रिक अथवा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं, सरकारी छात्रावास में प्रवेश की आवश्यकता है, अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग योजनाओं तक पहुँच चाहते हैं, तो यही वह कार्यालय है जो आपके आवेदन का सत्यापन करता है तथा धनराशि का प्रसंस्करण करता है।

प्रशासन

कानून / नीति	दायरा
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीसीआरए), 1955	अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण के लिए ढाँचा
अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	जाति-आधारित भेदभाव एवं हिंसा से संरक्षण
केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाएँ (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय MoSJE / MoTA / MoMA)	अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक तथा फेलोशिप योजनाएँ
पीएम-यशस्वी (PM-YASASVI) दिशानिर्देश	अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा विमुक्त जनजातियों के लिए विलयित छात्रवृत्ति
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम (एमडब्ल्यूपीएससी), 2007 (§18)	DSWO को भरण-पोषण अधिकारी के रूप में नामित किया गया है; अनुरोध पर भरण-पोषण न्यायाधिकरणों में माता-पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं
अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (नियम 17)	DSWO जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के सदस्य सचिव होते हैं (जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी (District Magistrate) करते हैं)
राज्य समाज कल्याण एवं छात्रवृत्ति नियम	राज्य-विशिष्ट पात्रता एवं प्रसंस्करण मानदंड

- **केंद्र:** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय / जनजातीय कार्य मंत्रालय / अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
- **राज्य:** समाज कल्याण निदेशालय / जनजातीय कल्याण आयुक्त / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
- **जिला:** अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO); अनुसूचित जनजाति के लिए जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी; अल्पसंख्यकों के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
- **वित्त-पोषण:** छात्रवृत्ति की धनराशि केंद्र से, राज्य के माध्यम से जिले तक पहुँचती है; कार्यालय संचालन राज्य द्वारा वित्त-पोषित

प्रमुख पद

पद	उत्तरदायित्व
जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO)	मुख्य अधिकारी — छात्रवृत्ति सत्यापन, छात्रावास आवंटन, लाभार्थी सूचियाँ
क्लर्क एवं डेटा एंट्री ऑपरेटर	आवेदनों का प्रसंस्करण करते हैं — सत्यापन-बैकलॉग देरी का एक सामान्य स्रोत है
छात्रावास वार्डन	अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सरकारी छात्रावासों का प्रबंधन
जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी	जहाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या महत्त्वपूर्ण है, वहाँ अनुसूचित जनजाति-विशिष्ट योजनाओं को सँभालते हैं
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति प्रसंस्करण एवं कल्याण योजनाओं को सँभालते हैं

अनिवार्य सेवाएँ

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों का प्रसंस्करण; राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) की कार्यप्रणाली के अन्तर्गत, जिला नोडल अधिकारी (अनेक राज्यों में DSWO) विद्यार्थियों के आवेदनों एवं अपलोड किए गए दस्तावेज़ों का स्तर-2 सत्यापन करते हैं तथा संस्थान नोडल अधिकारी (INO) के पंजीकरण फ़ॉर्मों की भौतिक प्रतियाँ अपने पास सुरक्षित रखते हैं
- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु सरकारी छात्रावासों का प्रबंधन
- प्रतियोगी परीक्षा तैयारी हेतु कोचिंग एवं फेलोशिप योजनाओं का प्रशासन
- पेंशन एवं सहायता योजनाओं का प्रसंस्करण: पात्र लाभार्थियों हेतु विधवा, दिव्यांगता तथा वृद्धावस्था पेंशन
- श्रेणी-विशिष्ट कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, जिसमें अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन शामिल है
- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (नियम 17) के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के सदस्य सचिव — जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं — कम-से-कम तीन माह में एक बार बैठक होती है तथा यह अधिनियम के क्रियान्वयन, पीड़ितों की राहत एवं पुनर्वास, तथा प्रकरणों के अभियोजन की समीक्षा करती है
- I-MESA योजना के अन्तर्गत जिला सामाजिक न्याय सभा पैनल के सदस्य (जिलाधिकारी अध्यक्ष के रूप में तथा जिला शिक्षा अधिकारी के साथ), जो सामाजिक-लेखापरीक्षा निष्कर्षों की समीक्षा करते हैं तथा सुधारात्मक निर्णय लेते हैं
- पीएम-AJAY (PM-AJAY) — अनुसूचित जाति कल्याण की छत्र-योजना जो PMAGY/SCA-SCSP/बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का स्थान लेती है — के अन्तर्गत जिला कल्याण अधिकारी (DWO) अथवा समकक्ष जिला-स्तरीय अधिकारी जिला स्तरीय परियोजना मूल्यांकन सह अभिसरण समिति (DL-PACC) के सदस्य सचिव होते हैं, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर करते हैं
- अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के अन्तर्गत, अनुदान किस्तें जारी होने से पूर्व जिला प्रशासन अनुपालन हेतु निरीक्षण रिपोर्टें प्रस्तुत करता है; अधिकांश राज्यों में व्यवहार में DSWO निरीक्षण अधिकारी होते हैं

संबंधित योजनाएँ

- **प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (केंद्रीय + राज्य)** — शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता; इस कार्यालय के माध्यम से संसाधित
- **पीएम-यशस्वी (PM-YASASVI)** — अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा विमुक्त जनजाति श्रेणियों के लिए विलयित छात्रवृत्ति
- **अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप** — एमफिल/पीएचडी विद्वानों हेतु अनुसंधान फेलोशिप
- **मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन** — शिक्षा में अल्पसंख्यक छात्राओं हेतु छात्रवृत्तियाँ
- **निःशुल्क कोचिंग योजनाएँ** — अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग
- **राज्य छात्रावास योजनाएँ** — घर से दूर अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क आवासीय व्यवस्था

पता कैसे लगाएँ

पोर्टल: scholarships.gov.in — केंद्रीय छात्रवृत्ति आवेदन की स्थिति एवं वितरण डेटा

इसके अतिरिक्त: "[जिले का नाम] समाज कल्याण कार्यालय" खोजें अथवा जिले की वेबसाइट पर DSWO देखें; सामान्यतः कलेक्ट्रेट से 1 किमी के भीतर

प्रमुख सुविधाएँ

कार्यालय में होने चाहिए: ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रसंस्करण के लिए क्रियाशील कंप्यूटर, आवेदकों के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, तथा एक प्रदर्शन बोर्ड जिसमें सभी उपलब्ध योजनाएँ पात्रता मानदंडों सहित सूचीबद्ध हों। इस कार्यालय द्वारा प्रबंधित सरकारी छात्रावास अधिवासित एवं रखरखावित होने चाहिए।

एक क्रियाशील समाज कल्याण कार्यालय कैसा दिखता है

- पिछले वर्ष की छात्रवृत्तियाँ पूर्णतः वितरित हो चुकी हैं — विद्यार्थी पिछले वर्ष के भुगतान की प्रतीक्षा नहीं कर रहे
- एक प्रदर्शन बोर्ड पर सभी उपलब्ध योजनाएँ पात्रता मानदंडों एवं आवेदन प्रक्रिया सहित सूचीबद्ध हैं
- विद्यार्थी इस कार्यालय में आवेदन की स्थिति जाँच सकते हैं, केवल ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से नहीं
- इस कार्यालय द्वारा प्रबंधित सरकारी छात्रावास क्रियाशील एवं अधिवासित हैं
- कर्मचारी मुख्य योजनाओं हेतु आवेदन प्रक्रिया एवं अपेक्षित दस्तावेज़ों की व्याख्या कर सकते हैं
- प्रसंस्करण-बैकलॉग अनिवार्य समय-सीमाओं के भीतर हैं

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। योजना के अनुसार पहला संपर्क बिंदु DSWO / जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी होते हैं। छात्रावास-विशिष्ट मामलों के लिए छात्रावास वार्डन प्रथम उत्तरदाता होते हैं।

सेवा के बाद। आगे की कार्यवाही राज्य समाज कल्याण निदेशालय / जनजातीय कल्याण निदेशालय / अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय तक होती है। जिला कलेक्टर के पास प्रशासनिक अधिकारिता है।

बाहरी। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली CPGRAMS (pgportal.gov.in) MoSJE, MoTA तथा MoMA की शिकायतें सँभालती है। छात्रवृत्ति वितरण मामलों के लिए scholarships.gov.in पर एक शिकायत मॉड्यूल है। SC/ST अत्याचार-अधिनियम के अन्तर्गत मुआवज़े में देरी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (ncsc.nic.in) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (ncst.nic.in) के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर अत्याचारों के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14566 (टोल-फ्री, 24x7) है; माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम (एमडब्ल्यूपीएससी) के अन्तर्गत वरिष्ठ-नागरिक संकट कॉलों के लिए एल्डरलाइन हेल्पलाइन 14567 है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (ncm.nic.in) अल्पसंख्यक-कल्याण शिकायतों को सँभालता है। पेंशन-योजना के विवाद राज्य पेंशन निदेशालय एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मिशन तक जाते हैं।

—